अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2022 (RCMS 2022/210) ममता पत्नी विनोद पुत्री सोहनलाल निवासी आकशवाणी कॉलोनी, सूरतगढ़ हाल गांव ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कार्यालय तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

11.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनांक 04.01.2023 को [illegible] उपस्थित हुई थी। अपीलार्थी को पूर्व में सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2021 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, शास्ति अधिरोपित करने, उसे क्षतिपूर्ति दिलवाने एवं सम्पूर्ण सूचना निःशुल्क दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> 1. ख्यालीराम पुत्र नत्थूराम 2. कमला देवी पत्नी ख्यालीराम 3. विनोद कुमार पुत्र श्री ख्यालीराम 4. सरोज पुत्री ख्यालीराम 5. रमेश पुत्र श्री ख्यालीराम निवासीगण आकशवाणी कॉलोनी सूरतगढ, उक्त वर्णित व्य[illegible] सम्पतियों का पूर्ण विवरण मय दस्ता[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राज[illegible] [illegible] कार्यालय के पत्र [illegible] वाचक /1267 दिनांक 06.09.2022 एवं स्मरण [illegible], 1460/02.11.2022 [illegible] नोटिस क्रमांक 96/27.01.2023 से अपील पत्र के संबध में टिप्पणी मय कार्यालय का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सम्बन्धित रिर्काड चाहा गया था जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्णय लेवें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को **पालनार्थ भिजवाई जावे।अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:38:25 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर